



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24208-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका संख्या - 2025 का 3867

आशीष मोहन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आशीष कुमार, बलदेव शुक्ला, यमन सेठ

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : आजाद राय, पूजा सिंह, स्थायी अधिवक्ता

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थियों को ग्राम नासिरपुर उर्फ नाहरपुर, ग्राम पंचायत ताजुद्दीनपुर, ब्लॉक सोरांव, जिला प्रयागराज में जलभराव और अवरोध को हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग के साथ दायर की गई है।
2. प्रत्यर्थियों को निर्देश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
3. निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ यह संकेत देते हैं कि प्रश्नगत भूमि किसी गड्ढे की थी, जिसमें अतिक्रमण करके निर्माण कार्य कर लिए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप जलभराव हो रहा है। आगे यह तर्क दिया गया है कि नाली आदि बनाने के प्रयास किए गए थे, हालांकि, निवासियों ने इसका विरोध किया और इसलिए, इसे पूरा नहीं किया जा सका।
4. अब, प्रत्यर्थियों ने सोखता गड्ढा (सोक पिट) के निर्माण के लिए एक स्थान की पहचान की है और यदि इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है, तो प्रत्यर्थियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
5. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, जिसमें जलभराव की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से प्रत्यर्थियों द्वारा एक सोखता गड्ढा बनाने का प्रस्ताव है, इस वर्तमान जनहित याचिका में इस न्यायालय द्वारा आगे कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
6. प्रत्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित शीघ्रता के साथ की जाए।
7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

आर.के./ए.के.शुक्ला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"